प्रेस नोट --- दिनाँक 26.11.2024 थाना कोतवाली, बदायूं।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा डा0 शाकिर (फार्मसिस्ट) की हत्या करने वाले 04 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ, डा0 बृजेश कुमार सिंह द्वारा गुमशुदा हुए डा0 शाकिर पुत्र बाकर अली निवासी कबुलपुरा थाना कोतवाली बदायूँ की तलाश करने के निर्देश दिए गये। पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर बदायूं के नेतृत्व तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह की अगुवाई में थाना कोतवाली पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान सीडीआर लोकशन व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से घटना का खुलासा कर घटना कारित करने वाले 1. सुल्तान पुत्र शाकिर निवासी ग्राम भवानीपुर खैरू थाना सहसवान जिला बदायूं 2. मुनाजिर पुत्र यामीन निवासी ग्राम भवानीपुर खैरू थाना सहसवान जिला बदायूं 3. जोगेन्द्र यादव पुत्र जागन सिह निवासी दहगवाँ थाना जरीफरनगर जिला बदायूँ 4. शोकिन मलिक उर्फ तेली पुत्र ताजउद्दीन निवासी दहगवाँ थाना जरीफरनगर जिला बदायूँ को बड़े सरकार गेट के पास से गिफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त गण द्वारा जुर्म घटना इकबाल व वादी मुकदमा नदीम की तहरीर पर धारा 140(1) बीएनएस से धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस मे तरमीम किया गया तथा अभियुक्तगणो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री नदीम पुत्र शाकिर अली निवासी मो0 कबुलपुरा थाना कोतवाली बदायूं पर अपने पिता डा0 शाकिर अली पुत्र बाकर अली निवासी मोहल्ला कबुलपुरा थाना कोतवाली बदायूँ के गुम होने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर गुमशुदगी दिनाँक 17.10.2024 को दर्ज करायी गयी थी दिनाँक 20.10.2024 को उक्त गुमशुदगी से मु0अ0सं0 372/ 24 धारा 140 (1) बीएनएस मे तरमीम कर बनाम अज्ञात के विरूद्व अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवरण बरामदगी –

1. एक हथोड़ा (आलाकत्ल)
2. एक क्रेटा कार की चाबी
3. एक मोबाइल कीपैड बनाम सुल्तान
4. एक अदद मोबाइल ओपो सीपीएच 2477 मॉडल बनाम शोकिन

5. एक अदद मोबाइल ओपो बनाम जोगेन्द्र

6. एक अदद मोबाइल टेक्नो स्पार्क बनाम मुनाजिर

अपराध करने का तरीका ---

अभियुक्त गण शाहिद पुत्र स्व0 वाहिद अली व आरिज पुत्र भुरे मेम्बर निवासी मो0 काजी टोला थाना सहसवान जिला बदायूँ द्वारा सुल्तान पुत्र शाकिर व मुनाजिर पुत्र यामीन निवासी भवानीपुर खैरू थाना सहसवान जिला बदायूँ व योगेन्द्र यादव पुत्र जागन सिंह निवासी ग्राम दहगवाँ थाना जरीफनगर बदायूँ व शौकीन मलिक उर्फ तेली पुत्र ताजउद्दीन निवासी ग्राम दहगवाँ थाना जरीफनगर बदायूँ द्वारा एकराय होकर डॉ0 शाकिर (फार्मेसिस्ट) पुत्र बाकर अली निवासी मौ0 कबूलपुरा थाना कोतवाली बदायूँ की आरिश की टैक्टर की एजेंसी कस्बा सहसवान मे डा0 शाकिर अली के सर पर हथोड़े से वार कर हत्या कर देना तथा शव को क्रेटा गाड़ी की डिग्गी मे रखकर छिपाने व शव न मिलने हेतु सांकरा पुल रामघाट चौकी सांकरा थाना दादो जिला अलीगढ़ मे फेक देना तथा क्रेटा कार फार्मेसिस्ट की मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने खड़ी कर देना।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह थाना कोतवाली

नि0अ0 श्री विजय बहादुर सिह थाना कोतवाली

उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार शर्मा थाना कोतवाली

उ0नि0 श्री जगमेन्द्र सिह थाना कोतवाली

है0का0 629 दीना नाथ थाना कोतवाली

का0 810 धीरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली

का0 1855 अंकुश कुमार थाना कोतवाली

का0 595 वसीम अहमद थाना कोतवाली

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ